# न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या

10 / 2025

इन्द्रजीत सिंह जिला प्लाट नम्बर 12, लाजवन्ती भवन सिविल लाईन टोंक
जिला– टोंक
––अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ––प्रत्यर्थी

**अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

**निर्णय** **दिनांक 04.03.2025**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को दिनांक 23.12.2024 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी :–

आपके कार्यालय में दिनांक 15.10.2024 को रिसीव कराई गई प्रति की सी0सी0 कापी संलग्न है। प्रकरण में की गई समस्त कार्यवाही की जानकारी मय सम्पूर्ण पत्रावली दिलाये जाने की कृपा करे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 156 दिनांक 5.02.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 218 दिनांक 18.02.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां के संबंध में सहायक श्रम आयुक्त टोंक ने उनके पत्रांक 17 दिनांक 10.01.2025 द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है। अपीलान्ट को कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त टोंक से सम्पूर्ण सूचना प्राप्त न होने की स्थिति में अपीलान्ट सहायक श्रम आयुक्त टोंक के प्रथम अपीलेट अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)